


बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग


शुद्धि पत्र

विभागीय आवंटनादेश सं०-12 दिनांक-25.05.2018 के क्रमांक-1 एवं क्रमांक-2 में कुल आवंटित राशि वाले कॉलम में अंकित राशि 5,92,500/- के बदले 5,92,000/- तथा विषय एवं कुल योग की कुल आवंटित राशि में अंकित राशि 11,85,000/- (ग्यारह लाख पच्चासी हजार रूपये) मात्र के बदले 11,84,000/- (ग्यारह लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र पढ़ा जाय। आवंटनादेश की शेष कंडिकाये यथावत् रहेगी।


निदेशक।

ज्ञापांक-1/अनु०जनजाति (खड़िया विद्या०)-16-01/2009-34 पटना, दिनांक-01-10-18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/उप निदेशक, (मु०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई एवं मुंगेर/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, जमुई एवं मुंगेर/उप विकास आयुक्त, जमुई एवं मुंगेर/प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, मुंगेर/संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/सांख्यिकी कोषांग/आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक।